



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(A Government of India Enterprise)

21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 (भारत)
फोन : (91) (033) 2222-5612 / 5731 / 5552
ई-मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com

21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 (INDIA)
Phone : (91) (033) 2222-5612 / 5731 / 5552
E-mail : bhavsar.k@balmerlawrie.com
सीआईएन/सिन : L15492WB1924GOI004835

Ref: BL/SE/2025

Date: 31st August, 2025

To,
The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

The Secretary,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Company Code: **BALMLAWRIE**

Company Code: **523319**

Dear Sir(s)/Madam(s),

Subject: **Newspaper Publication regarding Notice of the 108th Annual General Meeting (AGM) and E-voting Information, 100 Days Campaign, "Saksham Niveshak" and Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares**

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of Newspaper Publication on the following subjects:

- Notice of the 108th Annual General Meeting and E-voting Information.
- 100 Days Campaign, "Saksham Niveshak" from 28th July, 2025 to 6th November, 2025 for KYC, Bank mandates and other related updations and shareholder outreach to prevent Transfer of Unpaid/Unclaimed dividends/shares to IEPF.
- Intimation for Special Window (from 7th July, 2025 to 6th January, 2026) for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

The aforesaid publication was made in the Jansatta (in all India Hindi Edition) newspaper on Sunday, 31st August, 2025.

The copy of the said newspaper advertisement shall also be available on the website of the Company at www.balmerlawrie.com.

For Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Kavita Bhavsar
Company Secretary and Compliance Officer

Enclosed: As above

अयोध्या में 32 हजार स्वयंसेवक बिछाएंगे 28 लाख दीप


राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारी

त्रियुग नारायण तिवारी
अयोध्या, 30 अगस्त।

श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष 25 लाख दीप जलाए गए थे। इस बार 32 हजार स्वयंसेवक की सेना उतरेगी, जो दीपों को सजाने और प्रज्वलित करने का कार्य संभालेगी। 19 अक्टूबर की शाम को होने वाला यह आयोजन लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी से और भी आकर्षक होगा।

प्रशासन ने इस भाव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या के एडीएम सिटी योगेंद्र पाण्डेय को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों से 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो आयोजन की हर बारीकी पर नजर रखेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। राम की पैड़ी को दीपों से सजाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो भगवान राम की लीलाओं को दर्शाएंगे। इन दीपों को जलाने के लिए सरसों तेल और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग होगा, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।

रामकथा पार्क तक जाएंगी झाकियां
सूचना विभाग की ओर से साकेत महाविद्यालय से 11 झाकियों का आयोजन किया जाएगा। ये झाकियां रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत करेंगी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी। इन झाकियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग



फाइल

कब कितने दीप जले

वर्ष	जले दीप
2017	1.71 लाख
2018	3.01 लाख
2019	4.04 लाख
2020	6.06 लाख
2021	9.41 लाख
2022	15.76 लाख
2023	22.23 लाख
2024	25 लाख

होगा, जिससे दर्शकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। झाकियां यहाँ से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : जिलाधिकारी जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम

किए हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मेडिकल टीमों भी तैनात रहेंगी। स्वच्छता के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि राम की पैड़ी और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर बना रहे।

पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति गिरफ्तार

बुलंदशहर, 30 अगस्त (जनसत्ता)।

बुलंदशहर में 23 जुलाई को थाना डिबाई क्षेत्र अंतर्गत कसेर कला गांव में कब्रिस्तान के पास एक महिला आशिया (25) का शव मिला

था। इस संबंध में थाना डिबाई में मृतका के भाई आस मोहम्मद की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मृतका के पति आशिया को शनिवार को कसेर फाटक के पास से गिरफ्तार

किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तेजवीर सिंह के अनुसार, पूछताछ के दौरान मृतका के पति ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसका उससे संबंध है।

भारत को तकनीक व नवाचार पर करना होगा काम : राजनाथ

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 अगस्त।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज तकनीक और ज्ञान के रूप में साम्राज्यवाद का नया रूप आ गया है। भारत किसी भी साम्राज्यवाद को नहीं मानता है, इसके लिए तकनीक व नवाचार पर काम करना होगा। देश का भविष्य नवाचारी युवाओं के हाथों में है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा फेज टू स्थित रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एअरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया गया। जहां अत्याधुनिक ड्रोन और 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम' का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद 'एअरक्राफ्ट इंजन' और 'डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी' का लोकार्पण हुआ।

इस दौरान आयोजित प्रदर्शनों में विभिन्न प्रकार के ड्रोन प्रारूप और उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस कंपनी के ड्रोन का इस्तेमाल आपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश के रूप में भारत की स्थिति आसान नहीं रही है। बड़ी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास किया है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, तो हम पर कितने प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी भारत नहीं रुका। आज भारत उभरती हुई तकनीकी के रूप में आगे बढ़ रहा है। बदलते युग में आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता है और देश के स्वाभिमान के लिए जरूरी है। भारत तकनीक के लिहाज से किसी देश से पीछे नहीं है, जो आपरेशन सिंदूर में देखने को



रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री योगी।

नए युग की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपनी के सीईओ विशाल मिश्रा व विवेक मिश्रा 'एअरक्राफ्ट टेस्ट फेसिलिटी' को विकसित के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नए युग की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश ने साढ़े 12 हजार हेक्टेयर जमीन रक्षा गतिविधों के लिए उपलब्ध कराई है। रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ को चुना है। अब लखनऊ ब्रह्मोस से पहचाना जाएगा। आपरेशन सिंदूर में बुनियात ने ब्रह्मोस का पराक्रम देखा है।

मिला। हमारी सेना ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। नई सोच व नई तकनीक के तहत रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया गया है। आज हमारे सारे प्रयास रंग ला रहे हैं। कठिन परिश्रम व सकारात्मक सोच से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।

कोल इंडिया में मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि

कोलकाता, 30 अगस्त (जनसत्ता)।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कोल इंडिया लिमिटेड ने कोलकाता स्थित अपने कारपोरेट मुख्यालय में महान हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व निदेशक (मानव संसाधन) डा विनय रंजन, निदेशक (वित्त) मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) अच्युत घटक, निदेशक (व्यावसायिक विकास) आशीष कुमार और मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। हाकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की विरासत को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, मेजर ध्यानचंद की जयंती यहां हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है।

बंगाल : कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, 30 अगस्त (भाषा)।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर हुए हमले के सिलसिले में शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक संतोष राजवा को उसके दो साथियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों पर कथित तौर पर कालिख पोतने, तस्वीरों और तोरणों को फाड़ने और घटनास्थल पर मौजूद लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, 'तीनों आरोपी अन्य समर्थकों के साथ सीआईटी रोड स्थित कार्यालय के बाहर टाथर जलाने और परिसर में घुसने की कोशिश में भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, वह मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता राकेश सिंह और कांग्रेस की शिकायत में नामित अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारी ने कहा, 'हम प्रकरण की जांच कर रहे हैं। सिंह तथा अन्य को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।'

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा

दूसरी नौकरी तलाश रहे कर्मियों के बकाए को रोकना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ

कोलकाता, 30 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दूसरी नौकरी की तलाश करना, भले ही वह प्रतिद्वंद्वी कंपनी में बेहतर सुविधाओं और लाभों के साथ क्यों न हो, एक बुनियादी अधिकार है और यह नैतिक कदाचार नहीं है। अदालत ने साथ ही कहा कि किसी कंपनी द्वारा इस आधार पर किसी कर्मचारी के बकाए का भुगतान न करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति शम्मा दत्त (पाल) की पीठ ने इसी के साथ भारत में एक खास तरीके की इंसुलेटर फिल्टर बनाने की एकमात्र निर्माता होने का दावा करने वाली कंपनी के अनुशासनात्मक आदेश और दंड को ग्रेच्युटी राशि आठ फीसद प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना का आदेश दिया। न्यायमूर्ति शम्मा दत्त (पाल) की पीठ ने इसी के साथ भारत में एक खास तरीके की इंसुलेटर फिल्टर बनाने की एकमात्र निर्माता होने का दावा करने वाली कंपनी के अनुशासनात्मक आदेश और दंड को ग्रेच्युटी राशि आठ फीसद प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना का आदेश दिया। न्यायमूर्ति दत्त ने गुरुवार को दिए गए फैसले में कहा, 'दूसरी नौकरी की तलाश करना, भले ही वह किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी में ही क्यों न हो (हालांकि इस मामले में यह साबित नहीं हुआ), जिसमें बेहतर सुविधाएं और लाभ हों एक बुनियादी अधिकार है और यह नैतिक कदाचार नहीं है, क्योंकि यह इमानदारी, विनम्रता या अच्छे नैतिक मूल्यों के विपरीत नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि नियोक्ता को कोई नुकसान या क्षति प्रतिवादी के किसी ऐसे कृत्य के कारण हुआ था, जो उपद्रवी, अत्यवस्थित या नैतिक कदाचार से संबंधित था। न्यायमूर्ति दत्त ने कहा, 'जांच प्राधिकारी



न्यायमूर्ति शम्मा दत्त (पाल) की पीठ ने इसी के साथ भारत में एक खास तरीके की इंसुलेटर फिल्टर बनाने की एकमात्र निर्माता होने का दावा करने वाली कंपनी के अनुशासनात्मक आदेश और दंड को ग्रेच्युटी राशि आठ फीसद प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना का आदेश दिया।

का आचरण स्पष्ट रूप से अधिकार का दुरुपयोग है और पूरी तरह से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कोई स्वतंत्र, विशिष्ट निष्कर्ष नहीं है। उन्होंने कहा, 'न तो किसी तर्क का और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया। हाई कोर्ट के समक्ष याचिका नियंत्रक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दावर की गई थी, जिसमें कंपनी ने तकनीशियन के रूप में काम करने वाले सुदीप सामंत को ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकरण का आदेश तर्कसंगत है तथा ग्रेच्युटी भुगतान के प्रावधानों की सीमा तक क्षेत्राधिकार के भीतर है तथा स्पष्ट रूप से कानून के अनुरूप है।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

एनबीएल कार्यालय - 21, एनएस रोड, कोलकाता - 700001। सीआईएन: L15492WB1924G01004835
दूरभाष संख्या: 033 2222 5612 ई-मेल: bhavsach@balmrlawrie.com
वेबसाइट: www.balmrlawrie.com

शेयरधारकों के लिए सूचना
क. 108वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 108वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे धनरायण दास विद्वान् सभागार, 29, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता-700019 में आयोजित की जाएगी।

108वीं एजीएम की सूचना (ई-वोटिंग निर्देश, उपस्थिति पर्ची, प्रश्नोत्तर फॉर्म और एजीएम स्थल के रूप में सहित) और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट बुकवार, 29 अगस्त 2025 को बंद-ऑफ तिथि वाली बुकवार, 15 अगस्त 2025 (दिन के अंत तक) तक कंपनी के शेयर धारक करने वाले शेयरधारकों को भेजा जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी/टिपिआर/टिपिआर/टिपिआर के पास पंजीकृत थे और अनुमत मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनको कंपनी/टिपिआर/टिपिआर/टिपिआर के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 26(1)(बी) के अनुसार, वार्षिक प्रदान करने वाला एक पत्र, जिसमें सटीक पाठ भी शामिल है, जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा गया था, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/टिपिआर/टिपिआर/टिपिआर के साथ पंजीकृत नहीं थी।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www.balmrlawrie.com/investors/general-meetings-postal-ballot-and-annual-report> पर, रटिक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, जहां कंपनी के इनिटियल शेयर सूचीबद्ध हैं यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और केफिन टेकनॉलॉजीज लिमिटेड (केफिन) (ई-वोटिंग सूचना प्रदान करने वाली वेबसाइट <https://www.evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) निम्न, 2014 के नियम 20 के साथ पंजित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और निर्दिष्ट विनियमों के विनियम 44 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') द्वारा 108वीं एजीएम में भाग लेने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित निर्देशों पर केफिन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके दृश्य रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: बुकवार, 23 सितंबर 2025 प्रातः 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में वोटों को नुस्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बंद-ऑफ तिथि अगस्त मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्रिका के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुकवार, 19 सितंबर